



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

आर.ई.ओ.- 200

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा०/प्रे० 3821 जोधपुर, दिनांक 10-01-2012

आदेश

विषय :- ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम 3 स्टार रेंटिंग मोटर पम्पसेट पर मिलने वाली अनुदान राशि स्वीकृत करने बाबत आवेदन का प्रपत्र।

निगम से जारी आदेश क्रमांक 1586 दिनांक 27.8.2010 (आर.ई.ओ-187) के द्वारा जो कृषक एनर्जी एफिशियेन्ट पम्प के विकल्प का चयन करते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार रेटेड पम्प सेट स्थापित करेंगे उन्हें रुपये 500/- प्रति हा.पा.की दर से अनुदान राशि विद्युत बिलो में 12 समान किशतों में समायोजित कर देने का प्रावधान रखा गया था।

इस क्रम में निगम से जारी आदेश क्रमांक 2056 दिनांक 16.9.2011 (आर.ई.ओ-198) द्वारा उक्त अनुदान राशि को रुपये 500/- प्रति हा.पा. से बढ़ाकर रुपये 750/- प्रति हा.पा. कर दिया गया था।

इस संबंध में उक्त अनुदान राशि का आवेदक द्वारा दावा (Claim) करने के लिये आवेदक से लिये जाने वाले आवेदन एवं अनुदान राशि स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डी.डी.जोशी)

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
7. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स/बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, (ए एण्ड आर/...../.....) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एण्ड सी/टी.डब्लू/आई एण्ड एस /वाणिज्य /एमएमसी /एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जैसलमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालौर/बाड़मेर/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
13. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
15. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

सहायक अभियन्ता (पवस/)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
.....।

विषय :-हॉर्स पॉवर का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम 3 स्टार रेटिंग मोटर पम्पसेट पर मिलने वाली अनुदान राशि स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ :- कृषि कनेक्शन हेतु आवेदित पत्रावली क्रमांक.....
दिनांक.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणितहॉर्स पॉवर का..... स्टार रेटेड का मोटर पम्पसेट उपरोक्त कनेक्शन हेतु स्थापित कर लिया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.स.	विवरण	
1	मोटर पम्पसेट का नम्बर	
2	मोटर पम्पसेट का मेक	
3	मोटर पम्पसेट का मॉडल	
4	मोटर पम्पसेट का रेटिंग (हा.पॉ.)	
5	मोटर पम्पसेट की स्टेज	
6	विक्रेता फर्म का नाम व पता	
	बिल/कैश मीमो का क्रमांक व दिनांक	
7	(प्रतिसंलग्न)	क्रमांक.....दिनांक.....

अतः निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार मिलने वाली अनुदान राशि स्वीकृत कर उक्त कृषि कनेक्शन हेतु भविष्य में जारी किये जाने वाले 12 मासिक विद्युत विपत्रों के माध्यम से दिलाये जाने की कृपा करें।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी.....

उपभोक्ता/आवेदक का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

ग्राम का नाम.....

पंचायत समिति.....

जिला.....

सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय उपयोग हेतु

कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस/) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रार्थना पत्र आज दिनांक.....को प्राप्त हुआ।

प्राप्ति क्रमांक.....दिनांक.....

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमार/कुमारी.....ने उक्त आवेदित कृषि कनेक्शन हेतुहॉर्स पॉवर का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित स्टार रेटिंड का मोटर पम्पसेट जिसका विवरण ऊपर दिया गया है को स्थापित कर लिया है।
अतः नियमानुसार, अनुदान राशि विद्युत विपत्रों के माध्यम से दिलवाये जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रमाणीकरण दिनांक :-

कनिष्ठ अभियन्ता (पवस/)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
.....

अनुमोदन

आवेदक श्री/श्रीमति/कुमार/कुमारीपुत्र/पुत्री श्री.....को आवेदित कृषि कनेक्शन हेतु निर्धारित मानक की.....एच पी की.....स्टार रेटिंग मोटर पम्प सेट लगाने पर नियमानुसार अनुदान राशि.....रुपये प्रति हा.पा. कुल अनुदान राशि रुपये.....भविष्य में जारी किये जाने वाले विद्युत विपत्रों के माध्यम से 12 समान किशतों में समायोजित करने की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

सहायक अभियन्ता (पवस/)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
.....

राजस्व अधिकारी